

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (जिला): STATE VIGILANCE BUREAU P.S. (थाना): SVB ROHTAK Year (वर्ष): 2021
FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0005 Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय): 08/12/2021 22:22 hrs

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	IPC 1860	120-B
2	IPC 1860	167
3	IPC 1860	218
4	IPC 1860	420
5	IPC 1860	467
6	IPC 1860	468
7	IPC 1860	471

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):
1 Day (दिन): Date from (दिनांक से): Date To (दिनांक तक):
Time Period (समय अवधि): Time From (समय से): Time To (समय तक):
(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 08/12/2021 Time (समय): 21:55 hrs
(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 018 Date and Time (दिनांक और समय): 08/12/2021 22:01 hrs

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): Written

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): EAST, 60 Km(s) Beat No. (बीट सं.):
(b) Address (पता): गांव सुल्तानपुर जिला सोनीपत,
(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):
District (State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): PHOOL KUMAR
(b) Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):
(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 02/02/1983 (d) Nationality (राष्ट्रियता): INDIA
(e) UID No. (यूआईडी सं.):
(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):
Date of Issue (जारी करने की दिनांक): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)
------------------	--------------------------------	--------------------------

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	PS SVB Rohtak, ROHTAK, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	PS SVB Rohtak, ROHTAK, HARYANA, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष सं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9017171760

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	राजस्व अधिकारीयो सोनीपत व अन्य लाभार्थियो			1. राजस्व विभाग सोनीपत,SONIPAT,HARYANA,INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)
------------------	--------------------------------



12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

श्रीमान जी, केस के तथ्य इस प्रकार से हैं कि श्री प्रवेश कुमार पुत्र श्री राजेंद्र सिंह निवासी शंकर गार्डन बहादुरगढ़ तहसील व जिला झज्जर ने दिनांक 28/10/2020 द्वारा माननीय वित्तियुक्त महोदय को डॉक्टर राजकुमार भोरिया, जिला राजस्व अधिकारी (DRO) एस0 के0 ब्रांच कानूनगो श्री देवेंद्र सिंह व ऑफिस कानूनगो तहसील व जिला सोनीपत के विरुद्ध शिकायत की थी। उक्त शिकायत पर माननीय वित्तियुक्त महोदय ने ए0@डी0जी0पी0 सी0आई0डी0 पंचकुला को अर्धसरकारी पत्र क्रमांक आर0-4-2020 स्पेशल लिखकर उनका ध्यान उक्त शिकायत की ओर दिलाते हुए चाहा था कि उक्त शिकायत की जांच किसी वरिष्ठ अधिकारी से करवा कर सिफारिश सहित जांच रिपोर्ट भेजे। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक गुप्तचर विभाग हरियाणा ने अपने पत्र क्रमांक 1424 दिनांक 22.02.2021 द्वारा शिकायत में रिपोर्ट प्रस्तुत की। उक्त शिकायत की जांच श्री सन्दीप डी0एस0पी0, मुख्यमंत्री उड़नदस्ता रोहतक से करवाई गई। जांचकर्ता द्वारा जांच के दौरान रेवेन्यू रिकार्ड का अध्ययन से पाया कि विवादित जमीन गांव सुल्तानपुर जिला सोनीपत का रकबा है जो शहर से बहालगढ़ मार्ग पर फिम्स अस्पताल के साथ लगती है यह लगभग 12 एकड़ जमीन है जो वर्ष 1966 में श्री मदन मोहन पुत्र श्री हेतराम पुत्र श्री सीताराम वासी अमृतसर पंजाब नें राम नाथ वगैरा वासी राठधाना सोनीपत से खरीदी थी जिसका वसीका नंबर 2017 दिनांक 07.02.1966 व इंतकाल नंबर 774,775, दिनांक 25.05.1970 है। दिनांक 28.05.1994 को श्री मदन मोहन की मृत्यु होने के उपरांत जमीन का विरासत के आधार पर इंतकाल नंबर 2524 दिनांक 28.03.2006 को श्री मदन मोहन की पत्नी श्रीमती संतोष व बेटे श्री नरेन्द्र के नाम हो गया आज भी जमीन पर खेती होती है और वर्ष 2012 से श्री दीपक पुत्र श्री उमेद सिंह जाति जाट वासी जोशी जिला सोनीपत खेती करता है इससे पहले वर्ष 1982 से श्री दीपक के पिता श्री उमेद सिंह खेती करते थे श्री उमेद सिंह श्री दीपक माल के पैसे के जमीन श्री नरेंद्र पुत्र श्री मदन मोहन वासी पीतमपुरा नई दिल्ली को देते आ रहे हैं। जांच से पाया गया है कि वर्तमान में इस जमीन का असल वारिस श्री नरेंद्र अग्रवाल पुत्र श्री स्वर्गीय श्री मदन मोहन वासी लोक विहार पीतमपुरा नई दिल्ली है यह जमीन प्राइम लोकेशन होने के कारण इस पर भू-माफियाओं और ठगों की नजर काफी समय से है। इसी कारण हर बार कोई ना कोई अपने आप को मदन मोहन का वारिस बता कर या स्वयं मदन मोहन बन कर फर्जी वसीयतनामा तैयार करके तहसील कार्यालय और राजस्व अधिकारियों के पास इस जमीन पर अपना हक साबित करने पहुंच जाता है इस विवादित जमीन के पांच इंतकाल दर्ज हुए हैं। उक्त जांच से यह स्पष्ट हुआ कि राजस्व अधिकारियों द्वारा इंतकाल का इंदाज करते समय किसी ठोस तथ्य प्रमाणित दस्तावेज को आधार नहीं बनाया गया वर्ष 2006 से लेकर आज तक कभी भी किसी रेवेन्यू कोर्ट अथवा जांच अधिकारियों द्वारा जमीन की मिल्कियत बारे कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया तो केवल खानापूति के लिए राजस्व रिकार्ड में दर्ज नामों पर ही जांच को केंद्रित रखा और मुद्दे एवं अपीलार्थी पक्ष को बिना सुने ही फैसले करना वह बिना ठोस सबूतों के बार-बार इंतकाल को खारिज कर नए व्यक्तियों के पक्ष में फैसला करना राजस्व विभाग के संबंधित अधिकारियों बदनियति और मिलीभगत की ओर इशारा करता है। उपरोक्त मामले में भी भू-माफियाओं द्वारा इस जमीन को पाने के लालच में कई मदन मोहन और उसके वारिसान तैयार किए गए जो समय समय पर अपना दावा प्रशासन की एक अक्षमता का फायदा उठा कर डालते रहते हैं ताकि कभी ना कभी विवश होकर असल मालिक मौजूदा मार्केट वैल्यू से बहुत कम दामों में वह जमीन बेचकर वहां से चला जाए इस जमीन का असल वारिस श्री नरेंद्र अग्रवाल पुत्र श्री मदन मोहन पुत्र हेतराम वासी लोक विहार पीतमपुरा दिल्ली के अतिरिक्त अन्य सभी फर्जी मदन मोहन के वारिसों के हक में बिना किसी ठोस तथ्यों के इंतकाल नंबर 3258 को खारिज करने वाले आदेश को बरकरार रखने वाले व फर्जी इंतकाल नंबर 4414 दर्ज करने वाले सभी राजस्व अधिकारियों तथा सभी लाभार्थियों के खिलाफ धोखाधड़ी करने फर्जी दस्तावेज तैयार करने में उन दस्तावेजों के इस्तेमाल और मिलीभगत करने पर सन्दीप डी0एस0पी0, मुख्यमंत्री उड़नदस्ता रोहतक द्वारा दिये गये सुझाव पर धारा 420, 467, 468, 471 व 120 बी भारतीय दंड संहिता के तहत मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश की है। मुख्य सचिव हरियाणा सरकार चौकसी विभाग के यदि क्रमांक 62/26/2021-4 चौ0 (II) दिनांक 26-10-2021 की अनुपालना में महानिदेशक राज्य चौकसी ब्यूरो हरियाणा पंचकुला के प्रशंकांकन क्रमांक 17612/आई-5/रा0चौ0ब्यू0 (ह) दिनांक 29.10.2021 आपराधिक केस दर्ज करके अनवेषण करने बारे अनुमति दी गई है तथा अभियोग की तफतीश में किसी अन्य अधिकारी/कर्मचारी या व्यक्ति की संलिप्ता पाई जाती है तो उसे भी देख लेने बारे आदेश दिये हैं। इसलिये इस विषय में जमीन के असल वारिस नरेन्द्र अग्रवाल पुत्र मदन मोहन पुत्र हेतराम वासी पीतमपुरा दिल्ली के अतिरिक्त अन्य सभी फर्जी मदन मोहन व वारिसों और मिलीभगत से बिना किसी ठोस तथ्यों के इन्तकाल न0 3258 को खारिज करने वाले, इस आदेश को बरकरार रखने वाले व फर्जी इन्तकाल न0 4414 करने वाले सभी राजस्व अधिकारियों और सभी लाभार्थियों के खिलाफ धोखाधड़ी करने फर्जी दस्तावेज तैयार करने और उन दस्तावेजों के इस्तेमाल से अनुचित लाभ प्राप्त करने वाले और मिलीभगत करने वालों पर जेर धारा 167, 218, 420, 467, 468, 471 व 120 बी0 भा0द0स0 के तहत अभियोग दर्ज किया जाकर अफसरान बाला को बजरीया टेलीफोन ई-मेल द्वारा सूचित किया जाये व स्पेशल रिपोर्ट ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब को भेजी जाये। मुकदमा दर्ज रजिस्टर होने उपरान्त मुकदमा की तकमील तफतीश अमल में लाई जावेगी। हस्ता अंग्रेजी (फूलकुमार) निरीक्षक,राज्य चौकसी ब्यूरो,उपकेन्द्र सोनीपत। दिनांक 3.12.2021 अज थाना:- हस्ब आमद तहरीर के थाना में प्राप्त होने पर मु0 न0 5 दि0 08.12.2021 जुर्म जेर धारा 167, 218, 420, 467, 468, 471 व 120 बी0 भा0द0स0 थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, रोहतक दर्ज रजिस्टर किया जाकर अफसरान बाला को बजरीया मेल द्वारा सूचना दी गई। नकल मिशल पुलिस मय असल तहरीर पेज न0 1 से 3 व डोकोमेन्ट फाईल पेज न0 1 से 130 SP साहब द्वारा नियुक्त अनुसंधान अधिकारी नि0 महेन्द्र सिंह राज्य चौकसी ब्यूरो, रोहतक मण्डल,रोहतक के हवाले कि जाएगी व EHC बिजेन्द्र सिंह न0 1550/रोहतक के हवाले स्पेशल रिपोर्ट की जाकर ड्यूटी मैजिस्ट्रेट साहब सोनीपत को देने के लिये मुनासिब हिदायत देकर रवाना किया गया। उपरोक्त मुकदमा प्रबन्धक अफसर थाना के कोड से निरीक्षक रामनिवास रा0चौ0ब्यूरो रोहतक की हाजरी मे दर्ज रजिस्टर किया गया है।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): MAHENDER SINGH Rank (पद): I (Inspector)

No. (सं.): 38SPT to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम):

Rank (पद):

No. (सं.):

14. Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)